

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 20.04.2021 जनपद देवरिया।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 के दृष्टिगत 12 लाइसेंस शस्त्र धारक द्वारा शस्त्र जमा न करने पर पंजीकृत किया गया अभियोग।

त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव-2021 के दृष्टिगत चुनाव को सकुशल संपन्न कराये जाने के उद्देश्य से जनपद देवरिया के समस्त शस्त्र लाइसेंस धारकों के शस्त्रों को जनपदीय पुलिस द्वारा जमा कराया जा रहा है, जिसमें लोगों द्वारा उक्त चुनाव को सकुशल संपन्न कराये जाने हेतु अपनी भागीदारी निभाते हुए अपने शस्त्रों को संबन्धित थानों, शस्त्र दुकानों पर जमा किया गया है। जिनके द्वारा शस्त्र नहीं जमा किये गये हैं उनके विरुद्ध कार्यवाही के क्रम में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा क्रमशः 01.ओमप्रकाश मणि पुत्र प्रदुम्न चन्द्र मणि सा0 रामनाथ देवरिया थाना कोतवाली, देवरिया 02.रमेश कुमार पुत्र बेचू प्रजापति सा0 विक्रमपुर बांसपार थाना कोतवाली, देवरिया 03.परमानंद यादव पुत्र हंसनाथ यादव सा0 सहजौली थाना कोतवाली, देवरिया 04.समी उल्लाह पुत्र सफायत हुसैन सा0 साकेतनगर थाना कोतवाली, देवरिया 05.रामाश्रय पुत्र रामऔतार सा0 साकेतनगर थाना कोतवाली, देवरिया 06.प्रमोद कुमार अग्रवाल पुत्र भगवान दास सा0 मालवीय रोड थाना कोतवाली, देवरिया 07.महात्मा सिंह पुत्र घमण्डी सिंह सा0. गोरखपुर रोड थाना कोतवाली, देवरिया 08.रामप्रताप यादव पुत्र बाबूराम यादव सा0 शिवपुरी थाना कोतवाली, देवरिया 09.राजेश कुमार जायसवाल पुत्र मोतीलाल सा0 मुन्सफ कालोनी थाना कोतवाली, देवरिया 10.धर्मेन्द्र कुमार सिंह पुत्र बाबूनंदन सिंह सा0 आचार्य रामचन्द्र शुक्ल नगर थाना कोतवाली, देवरिया 11.हरिनारायण यादव पुत्र रामअवध सा0 बरवां गोस्थान थाना कोतवाली, देवरिया 12.इन्दू देवी पत्नी चन्द्रप्रकाश सा0 कंचनपुर थाना तरकुलवा, देवरिया के विरुद्ध थाना कोतवाली पर अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत करते हुए नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जा रही है।